

11.4 कंप्यूटर आधारित परीक्षा कंप्यूटर आधारित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार का पेपर होगा जिसमें 100 अंकों के 100 प्रश्न होंगे। उनकी संरचना निम्नलिखित होगी:

	विषय	प्रश्नों की संख्या	अधिकतम अंग	अनुभव अवधि/ समय
भाग- क	सामान्य बुद्धिमत्ता और समसामयिक विषय	50	50	90 मिनट
भाग- छ	तकनीशनिक	25	25	
भाग- ग	संख्यात्मक योग्यता	15	15	
भाग- घ	कंप्यूटर फँडामेंटल्स, एमएस एलसेल, एमएसबल्ड, कम्प्यूनिकेशन, इंटरनेट, डब्लू डब्लू डब्लू और बेब ब्राउज़र आदि	10	10	

11.5 प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 अंक काटा जाएगा। इसलिए, अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे प्रश्नों के उत्तर देते समय इस बात का ध्यान रखें।

11.6 कंप्यूटर आधारित परीक्षा के बहुत अंग्रेजी और हिन्दी में आयोजित की जाएगी।

11.7 कंप्यूटर आधारित परीक्षा के उपरांत उचित समय पर अनंतिम कुंजियां आयोग की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएंगी। अभ्यर्थी उत्तरकुंजियों को देखें और यदि उन्हें कोई आपत्ति हैतो प्रति प्रश्न 100 रुपए ऑनलाइन बोड में भुगतान करके अपना अभ्यावेदन दे सकते हैं। उत्तर कुंजी अफलोड करते समय आयोग द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर उत्तर कुंजी के बारे में ग्राम किसी भी अभ्यावेदन की उत्तर कुंजियों को अंतिम रूप दिए जाने से पहले संवीक्षा की जाएगी और इस संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा। बाद में उत्तर कुंजियों के संबंध में कोई अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

11.8. कंप्यूटर आधारित परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम निम्नानुसार होगा :

11.8.1 सामान्य ज्ञान / समसामयिक विषय : इस घटक के प्रश्नों का उद्देश्य अभ्यर्थी के आस-पास के परिवेश की सामान्य जानकारी की जांच करना होगा। सामयिक घटनाओं और विन-प्रतिविन के अवलोकन के ऐसे मामलों के ज्ञान एवं उनके वैधानिक पहलू संबंधी अनुभव की जांच करने हेतु भी प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसकी जानकारी की अपेक्षा किसी शिक्षित व्यक्ति से की जा सकती है। इस परीक्षा में भारत और उसके पड़ोसी देशों के संबंध में विशेषकर खेल, इतिहास, संस्कृति, भूगोल, आर्थिक परिवर्ष, सामान्य गण्य-ज्ञानस्था, भारतीय संविधान, वैज्ञानिक अनुसंधान इत्यादि से संबंधित प्रश्न भी शामिल होंगे। ये इस प्रकारके प्रश्न होंगे कि उनके लिए किसी भी विषय के विशेष अध्ययन की आवश्यकता नहीं है।

11.8.2 तकनीशनिक: सैद्धान्तिक रूप से गैर-शान्तिक प्रकार के प्रश्नों के माध्यम से विश्वेषणात्मक अभिलेख देखने और प्रतिरूपों में भिन्नता करने की योग्यता आकी जाएगी। इस घटक में सावृद्धयों, समानताओं तथा अंतरों, स्थानिक कल्पना, स्थानिक अधिविन्यास, वृश्च स्मृति, विभेद, अवलोकन, संबंध अवधारणा, अंकगणितीय तर्क एवं आकृति संबंधी वर्गीकरण, अंकगणितीय संख्या शृंखला, गैर-शान्तिक शृंखला, कोडिंग एवं डिकोडिंग इत्यादि पर प्रश्नों को शामिल किया जा सकता है।

11.8.3 संख्यात्मक योग्यता: इस प्रश्नपत्र में संख्या प्रणाली से संबंधित समस्याओं, पूर्णांकों का अभिकलन, दशमलव और भिन्न तथा संख्याओं के बीच परस्पर संबंध, मूलभूत अंकगणितीय संक्रियाएं, प्रतिशतता, अनुपात और समानुपात, औसत, व्याज, लाभ-हानि, छूट, क्षेत्रमिति, समय और दूरी, अनुपात और समय, समय और कार्य, आदि से संबंधित प्रश्न शामिल किए जाएंगे।

11.8.4 कंप्यटर फ़ॉर्मेटल, एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड, कम्प्युनिकेशन, इंटरनेट, डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू और बेब ब्राउज़र आदि। वर्ड प्रोसेसिंग (वर्ड प्रोसेसिंग प्रारंभिक, दस्तावेज़ को सोलना और बदल करना, पाठ लेखन, पाठ का प्रारूपण करना और इसे प्रस्तुत करने संबंधी विशेषताएँ) संबंधी तत्त्व। एमएस एक्सेल (स्पेशल शीट के तत्त्व, सेल का संपादन, फ़ॉर्मूले, संचार (इन्मेल की मूल बातें, इमेल भेजना और प्राप्त करना और इससे संबंधित कार्यों इंटरनेट, डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू और बेब ब्राउज़र (इंटरनेट, इंटरनेट पर सेवाएँ, यूआरएल, एचटीटीपी, एफटीपी, बेब साइट, ब्लॉग, बेब ब्राउज़िंग सॉफ्टवेअर, मर्च इंजन, चेट, वीडियो बॉन्डेसिंग, ई-बैंकिंग))।

11.9 प्रश्नों का स्तर मैट्रिक स्तर का होगा।

11.10 शारीरिक क्षमता और माप परीक्षा (पीडीएडएमटी) : शारीरिक क्षमता और माप परीक्षाके मानक निम्नानुसार हैं:

11.11 पुरुष अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक क्षमता परीक्षा : भूतपूर्व सैनिकों और विभागीय अभ्यर्थियों (आयु-वार) सहित पुरुष अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक क्षमता परीक्षा के मानक निम्नानुसार होंगे:

आयु	दौड़: 1600 मीटर	लंबी कूद	ऊंची कूद
30वर्ष तक	6 मिनट	14 फीट	3'9 "
30 से 40 वर्ष तक	7 मिनट	13 फीट	3'6 "
40 वर्ष से ऊपर	8 मिनट	12 फीट	3'3 "

11.12 वे अभ्यर्थी जो दौड़ में अहंता प्राप्त करते हैं, वे लंबी कूद और ऊंची कूद में उपस्थित होने के पात्र होंगे। अभ्यर्थी को विए गए तीन अवसरों में किसी भी अवसरा में उसे लंबी कूद और ऊंची कूद को पार करना हो। दौड़, लंबी कूद और ऊंची कूद में अवोध होने पर कोई अपील स्वीकार नहीं की जाएगी।

11.13 पुरुष अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक माप के मानक :

11.13.1 केवल उन्हीं अभ्यर्थियों की शारीरिक माप परीक्षा की जाएगी जो शारीरिक क्षमता परीक्षा में अहंता प्राप्त करते हैं। शारीरिक माप के मानक इस प्रकार हैं:

11.13.2. ऊंचाई : न्यूनतम 170 सेमी, इसमें छूट इस प्रकार है:

11.13.2.1 पहाड़ी क्षेत्रों अवर्ग गढ़वालियों, कुमाऊंनी, गोरखा, डोगरा, मण्डों और सिक्किम, नागालैंड, अलामोदल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिनोप्रद, मेघालय, असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर तथा लेह और लद्दाख से संबंधित अभ्यर्थियों के लिए 5 सेमी। (इस छूट जन यात्रा करने वाले अभ्यर्थियों को शारीरिक माप परीक्षा जैसे समय अपने नियाम स्थान स्थान प्राधिकारी अवर्ग डीसी / डीएम / एसडीएम या तहसील द्वारा जारी प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा। प्रमाणपत्र का प्रारूप **XI** के रूपमें संलग्न है।

11.13.2.2 अब्बा अभ्यर्थियों के लिए 5 सेमी।

11.13.2.3 दिल्ली पुलिस के सेवानिवृत्त या विवरण कार्डिंग / दिल्ली पुलिस के मल्टी टास्किंग स्टॉक के पुत्रों के मामले में 5 सेमी।

11.13.3 सीमा: 4 सेमी विस्तार के साथ न्यूनतम 81 सेमी (अर्धांत 81 - 85 सेमी), इसमें निम्नलिखितकूट दी गई है:

11.13.3.1 उपर्युक्त पैग -11.13.2.1 पर सूचीबद्ध पहाड़ी क्षेत्रों के निवासियों के लिए 5 सेमी।

11.13.3.2 अबत्रा अभ्यर्थियों के लिए 5 सेमी।

11.13.3. विल्ली पुलिस केसेवानिवृत्त या विवरणत कर्मियों / विल्ली पुलिस के मल्टी टाइम्कंग स्टॉफ के पुत्रों के मामले में 5 सेमी।

11.14 महिला अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक क्षमता परीक्षा: विभागीय अभ्यर्थियों (आयु-वार) महिला अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक क्षमता परीक्षण के मानक निम्नानुसार होती है:

आयु	वौड़: 1600 मीटर	लंबी कूद	ऊंची कूद
30वर्ष तक	8 मिनट	10 फीट	3 '
30 से 40 वर्ष तक	9 मिनट	09 फीट	2'9 "
40 साल से ऊपर	10 मिनट	08 फीट	2'6 "

11.15 ये अभ्यर्थी जो दौड़ में अहंता प्राप्त करते हैं, ये लंबी कूद और तदनंतर ऊंची कूद में उपस्थित होने के पात्र होंगे। अभ्यर्थी को विए गए तीन अवसरों में किसी भी अवसर में उसे लंबी कूद और ऊंची कूद को पार करना है। दौड़, लंबी कूद और ऊंची कूद में अवैध होने पर कोई अपील स्वीकार नहीं की जाएगी।

11.16 शारीरिक क्षमता और माप परीक्षणके समय गर्भवती महिला को शारीरिक क्षमता परीक्षण में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उनका परीक्षण "प्रसवास्था की अवधि" के बावजुबी किया जाएगा और तब तक ऐसे अभ्यर्थियों का परीक्षण एक सीलचंद्र कवर में रखा जाएगा और रिक्तियों को आवंटित रखा जाएगा।

11.17 महिला अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक माप के मानक :

11.17.1 केवल उन्हीं अभ्यर्थियों की शारीरिक माप परीक्षा की जाएगी जो शारीरिक क्षमता परीक्षा में अहंता प्राप्त करते हैं। शारीरिक माप के मानक इस प्रकार हैं:

11.17.2. ऊंचाई : न्यूनतम 157 सेमी, इसमें कूट इस प्रकार है:

11.17.2.1 पहाड़ी क्षेत्रों अर्धांत गढ़वालियों, कुमाऊँनी , गोपखा , ढोगरा , मण्डों और सिक्किम, बागालेंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, चिन्हुग, मिजोरम, मेघालय, असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख से संबंधित अभ्यर्थियों के लिए 2 सेमी। (इस कूट का बावा करने वाले अभ्यर्थियों को शारीरिक माप परीक्षा के समय अपने निवास स्थान संक्षम प्राधिकारी अर्धांत डीसी / डीएम / एसडीएम या तहसीलदार द्वारा जारी प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा। प्रमाणपत्र का प्रारूप अनुबंध-XI के रूपमें संलग्न है।)

11.17.2.2 अबा / अबत्रा अभ्यर्थियों के लिए 2 सेमी।

11.17.2.3 विल्ली पुलिस केसेवानिवृत्त या विवरणत कर्मियों / विल्ली पुलिस के मल्टी टाइम्कंग स्टॉफ की पुत्रियों के मामले में 5 सेमी।

11.18 उपर्युक्त ऊंचाई और सीने में छूट (यथा प्रयोज्य) शारीरिक क्षमता और माप परीक्षा के समय अपेक्षित प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर ही अनुमेय होगी।

11.19 वे उम्मीदवार किन्हें शारीरिक मानक, अर्थात् ऊंचाई और सीने की माप में योग्य घोषित नहीं किया गया है, यदि वे चाहें तो पीड़ासीन अधिकारी (पीओ) के माध्यम से केंद्र के नामित अपीलीय प्राधिकारी कोउसी दिन अपील कर सकते हैं। अपीलीय प्राधिकारी का निर्णय अलिम होगा और इस संबंध में आगे कोई अपील या अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। शारीरिक क्षमता परीक्षा में अपील नहीं की जा सकती है।

11.20 शारीरिक क्षमता और माप परीक्षा तथा चिकित्सा परीक्षा करने का वायिन्च एकमात्र विल्टी पुलिस का ही है। आयोग शा.क. और मा.प. में किसी अभ्यावेदन /अपील / आरटीआई / सीपीजीआरएमएस को स्वीकार नहीं करेगा।

12. चिकित्सामानक :

12.1 अध्यार्थियों का स्वास्थ्य अचल होना चाहिए औरदोष / विकृति / जीमारी से मुक्त होना चाहिए, दोनों ओंखों की दृष्टि चश्मे के बिना 6/12, गंदृष्टिहीनता सेमुक्त और सुधार के लिए चश्मा न लगाया जाता हो या दृश्य तीक्ष्णता में सुधार करने के लिए किसी भी तरह की सर्वरी नहीं कराई गई हो। उसमें ऐसी काई विकृति नहीं होनी चाहिए जिससे कठिन्यों के कुशल निवहन में बाधा पहुँचने की संभावना हो। इस संबंध में किसी भी श्रेणी को कोई छूट अनुमेय नहीं है।

12.2 चयनित अध्यार्थियों का, समय-समय पर बधा-संशोधित विल्टी पुलिस (निशुक्ति एवं भर्ती) नियमावली, 1980 के नियम-9, 14 (ग) और नियम-24 (परिशह) में निर्धारित मानकों के अनुसार, विल्टी में चयनित सरकारी अस्पतालों में चिकित्सीय परीक्षण किया जाएगा।

12.3 निम्नलिखित विवरण के अनुसार शरीर के विभिन्न भागों पर टैटू स्वीकार्य हैं :

12.3.1 सामग्री - धार्मिक चिह्न या आकृति और नाम को प्रदर्शित करने वाले टैटू, जैसा कि भारतीय सेना में अनुसारण किया जाता है, की अनुमति होगी।

12.3.2 म्याम - शरीर के पारंपरिक स्थानों वरे टैटू, जैसे- भुजाओं के अग्रभाग पर धीरगी ओर अकिन टैटू, लेकिन केवल वाई भुजा के अग्रभाग पर, क्योंकि इससे मैल्यूट नहीं दिया जाता है या हाथों के ऊर्ध्व भाग पर अनुमति होगी।

12.3.3 आकार - शरीर के विशेष भाग (कोहनी या हाथ) के आकार से $\frac{1}{4}$ से कम आकार का होना चाहिए।